

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 185/2025

उनवानी :- रिसाल सिंह बनाम प्रताप सिंह व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
10.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। सायल अधिवक्ता उपस्थित आये। सायल अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। अतः मुकदमा नं. 185/2025 रिसाल सिंह बनाम प्रताप सिंह व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को NOT PRESS में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 09.09.2025 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्द्रो किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिशल रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(हेमराज गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली हिण्डौन (करौली)</p>